फर्द अहकाम

(नियम 26)

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

| प्रार्थी / अपीलांट | बनाम | अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| श्री सोहनलाल पंवार<br>निवासी 42, दर्जियों का वास<br>धिंगाणा तहसील लूणी<br>जिला जोधपुर। | | सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी<br>तहसीलदार रेवदर |

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 56 वर्ष 2025

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 11.11.2025 | अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2025 को देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 26.06.2025 को ई–मेल के द्वारा पत्र प्रेषित किया था, उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई तथा विभागीय नियमानुसार उक्त पत्र पर कितने दिनों में कार्यवाही की जानी चाहिए था। यदि उक्त पत्र पर समयसीमा का पालन किया गया है तो उस पत्र पर की गई कार्यवाही के दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करावें तथा उस पत्र पर कार्यवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारी कार्मिक के नाम पदनाम सहित अवगत करावें तथा उक्त पत्र पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है तो विधिक एवं प्रशासनिक कारणों से अवगत करावें एवं उक्त पत्र आवक रजिस्टर के जिस पृष्ठ पर दर्ज किया गया है, उस पृष्ठ की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं।<br><br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2025 को देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 26.06.2025 को ई–मेल के द्वारा पत्र प्रेषित किया था, उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई तथा विभागीय नियमानुसार उक्त पत्र पर कितने दिनों में कार्यवाही की जानी चाहिए था। यदि उक्त पत्र पर समय सीमा का पालन किया गया है तो उस पत्र पर की गई कार्यवाही के दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करावें तथा उस पत्र पर कार्यवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारी कार्मिक के नाम पदनाम सहित अवगत करावें तथा उक्त पत्र पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है तो विधिक एवं प्रशासनिक कारणों से अवगत करावें एवं उक्त पत्र आवक रजिस्टर के जिस पृष्ठ पर दर्ज किया गया है, उस पृष्ठ की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br><br>(अल्पा चौधरी)<br>जिला कलक्टर, सिरोही | |